न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 388 / 18 | **निर्णय दिनांक: 13–01–2020**
13-1-2020

1. कमलादेवी
2. शांतिदेवी
3. नैनीदेवी
4. मोहनलाल
5. आयचुकीदेवी

पिसरानी सम्पतलाल पुत्र मालूराम जाति छींपा निवासी नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

रेसपोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 24–05–2003
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट के पिता / पति को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति / पिता द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 3 आरएम के मुरब्बा नम्बर 141 / 34 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट्स के पिता/पति को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित हो चुका है तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 के विरूद्व अपील 16–11–2018 को पेश की है। जो करीब 13 वर्ष विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित है अतः अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 16–11–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) प्रकरण में अपीलांट्स के पति/पिता ने बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत चक 03 एआरम के मुरब्बा नम्बर 141/34 में 25 बीघा भूमि के आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन भी अपीलांट्स के पति/पिता को करते हुए आवंटन आदेश जारी कर दिये गये।

अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि उनके पति/पिता को आवंटन से पूर्व ही अन्य को आवंटित भूमि थी। ऐसी अवस्था में उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट्स के पति/पिता को प्राप्त नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पति/पिता की पात्रता के अनुसार अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे।

(3) इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट्स के पति/पिता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली के साथ संलग्न किया गया है। जिसके अनुसार अपीलांट्स के पिता की मृत्यु वर्ष 2017 में होना अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में उपरोक्त आवंटन को कभी चुनौती नहीं दिया जाना साबित होता है। अपीलांट्स जोकि मूल आवंटी सम्पतलाल के वारिसान है, के द्वारा अपील प्रस्तुत करते हुए अपने पिता को आवंटित भूमि की एवज में अन्यत्र भूमि आवंटित किये जाने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से इस आधार पर की गई है, उनके पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित थी, ऐसी स्थिति में उन्हें अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(4) प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पूर्व आवंटी के आवंटन आदेश अथवा वादग्रस्त भूमि के बाबत् तत्कालीन जमाबन्दी या इंतकाल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही अन्य को आवंटित थी। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक

कथन के आधार पर अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 24–05–2003 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13–1 –2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.01.31 17:36:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: